

**नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)**

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

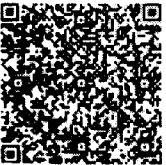
क्रमांक /00/ SBG00016713 /फायर सर्विस / एन°ओ°सी° / 2025 / सारंगढ़ बिलाईगढ़

दिनांक : 13/06/2025

प्रमाणित किया जाता है कि श्री GANSHYAM PATEL के परिसर VILL-POST- SALAR,TEH. SARANGARH DIST. SARANGARH BILAIGARH (C.G.) में स्थित BHARAT MATA INTERNATIONAL SCHOOL SALAR का इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री संजय कुमार गुप्ता द्वारा श्री घनश्याम पटेल की उपस्थिति में दिनांक 31/05/2025 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मार्ग ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से BHARAT MATA INTERNATIONAL SCHOOL SALAR में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः GANSHYAM PATEL की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
- 7 निरीक्षण टीम की अनुशंसा अनुसार परिसर में अग्निशमन हेतु होजरील की संख्या एवं वाटर कैपेसिटी बढ़ाने की शर्त पर संस्था को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।



जारी दिनांक : 13/06/2025


निदेशक
ट्रेनिंग अफ़ेयर्स
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
नगर सेना एवं नगरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर